N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0236 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 15/09/2025 15:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/09/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 15/09/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 15/09/2025 15:33:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** JAT CHAURAHA, KASBA PINAN JILA ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANOJ MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RATAN SINGH MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM NANGAL SOHAN, RAINI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM NANGAL SOHAN, RAINI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	TEJ SINGH MEENA		पिता:RAM KISHAN MEENA	1. GRAM ROOPWAS,ALWAR,RAJASTHA
2	PHOOL SINGH		पिता:DHARAM SINGH	1. JAT MOHALLA PINAN,RAINI,ALWAR,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		17,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 17,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि परिवादी श्री मनोज मीणा पुत्र श्री रतन सिंह मीणा जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी ग्राम नांगल सोहन, तहसील रैणी जिला अलवर ने दिनांक 11.09.2025/समय 11.30 एएम उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसका मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री मनोज मीणा को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री मनोज मीणा ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मेरे घर के पास शिवजी का मन्दिर है। दिनांक 10.09.2025 को पिनान जीएसएस का तेज सिंह जेईएन साहब बिजली वालो के हमारे घर आये और मुझसे कहा कि तुम लोगों ने मन्दिर में बिना मीटर के विधुत का सीधा कनेक्शन कर रखा है। जेईएन तेजसिंह मुझे साईड में ले जाकर कहा की तुमने मन्दिर से लाईट चौरी की है या तो तुम अभी तीस हजार रूपये दो अन्यथा एक लाख रूपये की वीसीआर भर दुंगा। मैनें जेईएन साहब से कहा कि इस कनेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो मन्दिर में आने जाने वालो के लिए लाईट लगा रखी है। घर के इन्वेटर से तार लाईट लगा रखी है। हमारे घर का तो अलग मे कनेक्शन ले रखा है। परन्तु उसने मुझे धमकी दी की यदि तुम 30000 रूपये कल तक नहीं दोगे तो मै तुम्हारी एक लाख की वीसीआर भर दुंगा मैने वीसीआर के डर से 5000 रूपये तो जेईएन साहब को दे दिये जेईएन साहब ने जाते हुये कहा कल तक 25000 रूपये नहीं लाया तो वीसीआर भर दुंगा। मैं जेईएन श्री तेज सिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता उसे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। मैं मेरे आधार कार्ड की व हमारे बिजली कनेक्शन की कॉपी हस्ताक्षरयुक्त प्रति पेश कर रहा हूं और पूछताछ करने पर यह भी बताया कि श्रीमान मेरी श्री तेज सिंह जेईएन से कोई रंजिश या दुशमनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ मे मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाता है। अतः उक्त पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर अग्रिम सत्यापन अनुसार जैसी स्थिति आयेगी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 11.09.2025 समय 12.40 पीएम पर कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एम.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री मनोज मीणा को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री तेज सिंह JEN विधुत विभाग पिनान के पास जाकर आरोपी जेईएन से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री तेज सिंह श्रम्छ से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री मनोज मीणा को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। हैड कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। रिश्वत मांग सत्यापन से जैसी सूरत पाई जावेगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परिवादी व हैड कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये परिवादी श्री मनोज मीणा की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। दिनांक 11.09.2025 समय 10.00 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. मय परिवादी श्री मनोज मीणा के ब्यूरों कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसे जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज मीणा ने बताया कि आज मैं और आपका कर्मचारी श्री सुण्डाराम हैड कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर पिनान जीएसएस के पास पहूंचे जहां श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुझे दे दिया जिसे मैं अपने पास रखकर जीएसएस पिनान के अन्दर गया तो जेईएन तेजसिंह कार्यालय में नहीं मिलने पर कार्यालय के कर्मचारी मे श्री तेजसिंह जेईएन साहब से मोबाईल नम्बर लेकर कार्यालय से बाहर निकल मेरे मोबाईल नम्बर   से श्री तेज सिंह जेईएन के मोबाईल

नम्बर पर कॉल किया तो जेईएन साहब ने साईट पर जाना बताया और जीएसएस पर पहूचने पर कॉल कर बुलाने के लिए कहा था। मैनें उक्त मोबाईल वार्ता को भी मेरे फोन का स्पीकर ऑन कर आपके टेप रिकॉर्डर में ऑन कर ली थी। इसके बाद मैं जीएसएस परिसर से बाहर निकलकर टेप रिकॉर्डर आपके कर्मचारी सुण्डाराम को सुपुर्द कर दिया था। उन्होने बन्द कर उन्होने अपने पास रख लिया। इसके बाद हम वहां से रवाना होकर हाइवे की पुलिया के नीचे जाकर जेईएन तेजसिंह के फोन का इन्तजार में रहे। काफी समय तक जेईएन तेजसिंह का फोन नहीं आने से मैनें जीएसएस के कर्मचारी को फोन कर जेईएन साहब के बारे में पूछा तो उन्होने कहा अभी नहीं आने थोडी बहोत देर में आने वाले होगे। इसके बाद करीब समय 04.37 पर जेईएन तेजसिंह के मोबाईल नम्बर पर मेरे मोबाईल नम्बर मे फोन किया तो दस पन्द्रह मिनट में पहूंचने की कही और कहा वहीं आके बात करता हू। इसके बाद करीब पौने छः बजे जेईएन तेजसिंह के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आया जेईएन साहब ने जाट चौराहा पर एक दुकान होटल सी है पर मिलने के लिए कहा। उपरोक्त सभी मोबाईल वार्ता फोन का स्पीकर ऑन कर आपके कर्मचारी द्वारा टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद हम पुलिया के नीचे से रवाना होकर जाट चौराहा पिनान के पास पहूंचे जहां पर आपके कर्मचारी ने अपने पास मे टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुझे दे दिया जिसे मैं अपने पास रखकर जाट चौराहा पर पहूंचा जहां पर एक दुकान के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं मोटरसाईकिल खडी करके जेईएन तेजसिंह के पास गया तो वह कुर्सी से खडा होकर मुझे चौधरी जनरल स्टोर दुकान वाले मकान के अन्दर ले गया। जहां पर हमारे बिजली कनेक्शन पर वीसीआर नहीं भरने के संबंध में बातचीत की तो तेज सिंह जेईएन ने मेरे से 2000 रूपये उसी वक्त ले लिये और मुझसे 18000 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर 17000/-रूपये रिश्वत के सहमत हो गये। जेईएन साहब ने बकाया 17000/-रूपये रिश्वत की राशि कल 02 बजे तक ले कर आने के लिए कहा है। उक्त वार्ता को मैनें आपके टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। मैं जेईएन साहब से वार्ता करके वहां से रवाना होकर आपके कर्मचारी के पास आया जिसे रिकॉर्डर चालू हालत में सुपुर्द किया जिसे उन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया। उसके बाद मैनें आपके कर्मचारी ने आपके निर्देशानुसार रिश्वत में दी जाने वाली रिश के लिए कहने पर मेरे द्वारा रिश्वत की रिश की व्यवस्था कर अपने पास रखकर आपके कर्मचारी के साथ पिनान से रवाना होकर अलवर के आसपास पहूंचे तो जेईएन का मेरे मोबाईल पर वाटसएप मिसकॉल आने पर मैनें उनको बैककॉल किया तो जेईएन साहब ने अलवर मिलने के लिए कहा और रिश्वत व वीसीआर के संबंध में बातचीत की जिसको विभाग के टेपरिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया इसके बाद आपके कार्यालय आ गये उक्त बातों की परिवादी के साथ गये श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने भी ताईद की। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड को प्राप्त कर रिकॉर्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से संदिग्ध आरोपी जेईएन द्वारा परिवादी के घर के बिजली कनेक्शन पर वीसीआर नहीं भरने की एवजं में वक्त रिश्वत मांग 2000 रूपये प्राप्त करना व 18000/-रूपये की रिश्वत मांगना व परिवादी के निवेदन पर 17000/-रूपये रिश्वत राशि सहमत होना पाया गया। उक्त रिकॉर्डर को मेरे कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 12.09.2025/समय 08:15 एएम से 12:30 पीएम पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादी श्री मनोज मीणा का परिचय दोनों गवाहान श्री गोपाल तिवाडी सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री राहुल सैनी, वरिष्ठ सहायक कार्यालय आबकारी विभाग अलवर से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री मनोज मीणा द्वारा दिनांक 11.09.2025 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री मनोज मीणा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री तेजसिंह, जेईएन, जीएसएस पिनान जिला अलवर द्वारा मांगी जा रही रिश्वत रिश के सम्बन्ध में करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया तथा दिनांक 11.09.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी व आरोपी श्री तेजसिंह, जेईएन के मध्य मोबाईल रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर, विभागीय कम्प्यूटर में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मनोज मीणा द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री तेज सिंह जेईएन, जीएसएस पीनान जिला अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में इले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01, फोल्डर 02, फोल्डर 04 व फोल्डर 05 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मनोज मीणा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर

पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी महित प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एमीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.09.2025 रिश्वत मांग वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक मफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को शील्डमोहर कर उस पर मार्क SD-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जा ए0मी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया मे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के 01, फोल्डर 02, फोल्डर 04 व फोल्डर 05 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की जो पेन ड्राईव बनाई गई है उनमें किमी भी प्रकार की छेड़छाड एवं कांट-छांट नही की गई। दिनांक 12.09.2025 समय 12.50 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मनोज मीणा पुत्र श्री रतन सिंह मीणा, जाति मीणा, ग्राम नांगल सोहन, तहसील रैणी जिला अलवर को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशी पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500/-रूपये के 34 नोट कुल 17,000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये गये। जिनके जरिये फर्द तैयार की जाकर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये । पेश शुदा फर्द नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शिशी मंगवाकर शीशी में से थोडा सा फिनोफ्थलीन पाऊडर एक साफ अखबार पर निकलवाकर 17,000/-रूपये के नम्बरी नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार मीणा की जामा तलाशी गवाह श्री राहुल सैनी, वरिष्ठ लिपिक से लिवाई गई तो परिवादी के पास बदन पर पहने हुये परिधान, मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त 17,000/-रूपये के नोटों को परिवादी श्री मनोज कुमार मीना की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईस की गई कि अब वह इन पाऊडरयुक्त नोटां को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उसे देवे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त कर कहां पर रखता है, इसका पूरा-पूरा ध्यान रखे और आरोपी रिश्वत राशी प्राप्त करने के बाद कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर अपने मोबाईल फोन से कॉल/मिस कॉल कर रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करने बाबत बताया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि यथा सम्भव आप परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवष्यक हिदायतें दी गई। इसके बाद श्री भास्कर हैड कानि. से एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक डिसपोजल गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उसे साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर उक्त गिलास में साफ पानी भरवाकर ट्रेप बोक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शिशी को निकलवाकर गवाह श्री राहुल सैनी से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर उक्त गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग साफ ही रहा। जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के अपरिवर्तित घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठें को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया । इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो तथा हाजरीन को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफथलीन पाऊडर की शिशी को उसका ढक्कन बंद करवाकर श्री कपिल सोमवंषी, वरिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शिशी को ट्रेप बोक्स में श्री भास्कर हैडकानि के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार एवं पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों-कांच की खाली शिशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को भास्कर हैडकानि. से साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बोक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, भास्कर हैडकानि, एंव समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री मनोज कुमार मीणा को छोडकर दोनों गवाहान एवं ट्रैप पार्टी सदस्यो तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन एएसपी एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री मनोज कुमार मीणा को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वाईस रिकार्डर मय नये मेमौरी कार्ड लगे सहित चालू व बन्द करने की विधि समझा कर सुपुर्द किया गया

एंव श्री रामजीत सिंह कानि0 को हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास भेजने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकार्डर चालु कर सुपुर्द करे। श्री कपिल सोमवंशी, कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई।दिनांक 12.09.2025 समय 02.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री मनोज मीणा, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल तिवाडी व श्री राहुल सैनी एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, भास्कर हैड कानि0 59, भीमसिंह कानि. 192, रामजीत कानि. 206, मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ एक प्राइवेट व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द तथा भगवान सिंह कानि. परिवादी की स्कूटी व सुण्डाराम हैड कानि. मोटरसाईकिल मे रवाना कर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब पिनान के लिये रवाना हुआ उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पिनान जीएसएस के पास जाट चौराहा पर पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खड़ा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर खडे हो गये जहां परिवादी ने उक्त चौराहे के पास बनी चौधरी जनरल स्टोर दुकान की तरफ ईशारा कर बताया कल दिनांक 11.09.2025 को श्री तेजसिंह जेईएन ने मुझसे उसी दुकान पीछे बने मकान के कमरे में ही बैठकर रिश्वत की बातचीत की थी। आज भी वह मुझे उक्त दुकानदार को रिश्वत राशि देने के लिए बोल सकता है या खुद भी ले सकता है। जिस पर डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री रामजीत कानि. से चालू करवाकर सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत कर परिवादी को आरोपी तेजसिंह जेईएन के पास जीएसएस पिनान कार्यालय स्कूटी से रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये जीएसएस पिनान परिसर के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। समय 4.55 पीएम पर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा परिवादी ने सिर पर हाथ फेरकर व वाट्सअप पर कॉल किया जिसको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास उपरोक्त चौधरी जनरल स्टोर की दुकान पर पहुंचा और परिवादी को पूर्व मे सुपुर्दशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त कर रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा गया।इसके बाद परिवादी ने चौधरी जनरल स्टोर के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया की यह श्री फूलसिंह चौधरी है, जिसने मुझसे श्री तेज सिह जेईएन साहब पिनान के कहे अनुसार मझसे 17000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर और गिनकर अपनी पहने हुये लोवर के दाहिनी साईड की चैन की जेब में रख लिये। इसी दौरान मैने आपको निर्धारित रिश्वत राशि ग्रहण करने का ईशारा कर दिया। उक्त वार्तालाप के दौरान ही कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। जिसे जाप्ते की सहायता से रोका जाकर आरोपी का दाहिना हाथ श्री भगवान सिंह कानि. एवं बाया हाथ श्री भीम सिंह कानि. से कलाई से उपर पकडवाया जाकर पुनः कुर्सी पर बैठाया जाकर उसे तसल्ली देकर अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया एवं उसका नाम पता पुछा तो उक्त ने अपना नाम श्री फूलसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जाट उम्र 43 साल निवासी जाट मोहल्ला पिनान तहसील रैणी जिला अलवर होना बताया तथा आरोपी से उक्त के द्वारा क्या काम किया जाता के बारे मे पूछा गया तो उक्त दुकान व मकान स्वयं का होना तथा चौधरी जनरल स्टोर स्वयं के द्वारा चलाना बताया। इसके बाद आरोपी से परिवादी श्री मनोज से अभी अभी प्राप्त की गई 17000/-रूपये की रिश्वत के बारे में पूछा तो आरोपी ने उक्त रिश्वत राशि अपने बदन पर पहने हुये लोवर की दाहिनी तरफ जेब के अन्दर बनी चैनवाली जेब से बाहर निकालकर दिखाया जिसे वापस चैन वाली जेब में ही आरोपी ने रख ली। इस पर मन एएसपी ने आरोपी फूल सिंह दलाल से पूछा की आपने परिवादी मनोज से किस बात के 17000/-रूपये लिये हैं इस पर दोनो गवाहान एवं एसीबी स्टाफ के समक्ष आरोपी श्री फूल सिंह ने बताया की मै जेईएन साहब श्री तेज सिंह को पूर्व मे ही जानता हूं जेईएन साहब व मनोज कल मेरी दुकान पर आये थे और दोनो ने मेरे उक्त मकान के अन्दर बने कमरे में बैठकर बातचीत की थी और आज अभी थोडी देर पहले भी मनोज मेरी दुकान पर आया और मुझसे कहा की मुझे जेईएन साहब तेजसिंह ने आपके पास भेजा है तो मैने इससे कहा की मेरी जेईएन साहब से बातचीत हो गई है। उन्होने मुझसे कहा है कि मनोज आ रहा है उससे 17000/- रूपये ले लेना तो मैन जेईएन साहब श्री तेंज सिंह के कहे अनुसार ही इनसे 17000/-रूपये लेकर और गिनकर अपने पहने हुई लोवर की दाहिनी जेब में रख लिय और मैने मनोज से 17000/-रूपये लेकर जेईएन साहब को उनके मोबाईल नम्बर पर कॉल कर राशि प्राप्त करने के बारे में उनको बता दिया और कुछ समय बाद जेईएन साहब अपनी काले रंग की स्कॉरपियो गाडी से मेरी दुकान के सामने आये और मनोज को ईशारा कर एक्सप्रेसवे की तरफ चले गये तथा मनोज भी उनके पिछे पिछे दिल्ली एक्सप्रेसवे की तरफ चला गया और कुछ देर बाद मनोज अपनी स्कुटी से वापस मेरी दुकान पर आकर बैठ गया। थोडी देर बाद आप लोग आ गये। इसके बाद उपस्थित परिवादी से पूछा तो आपको उक्त तिराये से आरोपी श्री तेजसिंही जेईएन को रिश्वति राशि देने के लिये उनके कार्यालय जीएसएस पिना के लिये रवाना किया गया था। परन्तु आप चौधरी जनरल स्टोर की दुकान पर कैसे आये। इस पर परिवादी ने बताया की साहब मैने आपके पहले ही बताया था की जेईएन साहब तेज आदमी है वो मुझसे या तो इस दुकान पर आकर रिश्वत राशि लेगा या इस दुकान वाले को दिलवायेगे क्योकि कल दिनांक 11.09.2025 को इसी दुकान के पीछे बने कमरे में बैठ कर मेरे से जेईएन साहब ने रिश्वत की मांग की

थी व 2000/-रूपये की रिश्वत प्राप्त की थी। मै कुछ देर पहले आपके निर्देशानुसार आपके पास से रवाना होकर जीएसएस पिनान कार्यालय पर पहूंचा तो जेईएन साहब तेजसिंह मुझे कार्यालय में ही मिले और मैने उनसे अपने काम के बारे बातचीत की हमारे घर पर बिजली विभाग पर आये नोटिस को मेरे मोबाईल मे दिखाकर कहा की सर आपने तो कल कहा था वीसीआर नही कटेगी पर आज हमारे घर पर बिजली विभाग का नोटिस आ गया इस पर जेईएन ने मुझे पूछा की पैमेन्ट लेकर आया क्या तो मैने कहा लेकर आया हूं इस पर जेईएन साहब ने कहा की कल वाली दुकान पर फूलसिंह को कर देना। इसके बाद मैने पुनः नोटिस के बारे पूछा तो जेईएन साहब ने मुझसे कहा की कल नोटिस लेकर आ जाना मै उसको फाईल कर दूंगा। तुम तो जाकर दुकान पर कर दो। इसके बाद आप को बिना ईशारा किये ही जेईएन साहब के कहे अनुसार मै अपनी स्कूटी लेकर उक्त दुकान पर आ गया और दुकान पर बैठे हुये फूलसिंह से कहा की मुझे जेईएन साहब ने भेजा है तो इस पर मुझसे फूल सिंह ने कहा की मेरे पास जेईएन साहब का फोन आ गया है, उन्होने तेरे से 17000/-रूपये लेकर रखने के लिये कहा है। इस पर मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी हुई रिश्वत राशि 17000/-रूपये निकालकर फूलसिंह को देने पर फूलसिंह ने उक्त रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर व गिनकर अपने पहने हुये लोवर की दाहिनी जेब में रख लिये इसके बाद मैने फूल सिंह से कहा की मेरी प्रोबलम है एक बार जेईएन साहब को बुलवालो मुझ उनसे बातचीत करनी है इस पर फूलसिह ने जेईएन साहब को फोन कर कहा की मनोज ने 17000/-रूपये मुझे दे दिये है ओर मनोज आपसे कुछ बात करना चाहता है। कुछ देर बाद जेईएन साहब अपनी स्कॉरपियो गाडी से उक्त दुकान पर आये और मुझे ईशार कर अपने पीछे आने को कहा ओर जेईएन साहब अपनी उक्त गाडी से एक्सप्रेसवे की तरफ रवाना हो गये और मै भी अपनी स्कूटी से दिल्ली हाईवे की तरफ उनके पीछे पीछे गया तो एक्सप्रेसवे के पुलिया के नीचे गाडी रोककर गाडी का सीसा उतारकर मुझसे कहा की अब क्या प्रोबलम है इस पर मैने जेईएन सहाब को कहा की आपके कहे अनुसार फूल सिंह को 17000/-रूपये दे दिये घर पर नोटिस की वजह से सब परेशान है। इस पर जेईएन साहब ने मुझसे कहा की घर से तेरा नोटिस लेकर अभी आ जा अभी उसको फाईल कर दूंगा। इसके बाद जेईएन साहब गाडी से यू टर्न लेकर पिनान की तरफ आ गये और मै भी उनके पीछे पीछे आकर उक्त दुकान पर पहूंचकर निर्धारित ईशारा कर दिया और आप आ गये। इसके बाद आरोपी श्री फूलसिंह से जेईएन साहब से फोन कर बातचीत करने के लिये कहा इस दौरान उक्त घटना स्थल मैन रोड पर व मौके पर दुकान होने के कारण अत्याधिक भीडभाड इकट्ठा हो होने से तथा आरोपी को कार्यवाही की भनक लगने पर तथा आरोपी जेईएन के जीएसएस कार्यालय मे फरार होने की सम्भावना के मध्य नजर रखते हुये आरोपी फूलसिह को दोनो हाथो को कलाई के उपर से क्रमश श्री भीमसिंह कानि. 192 व श्री भगवान सिंह कानि. 125 से पकडवाया जाकर प्राईवेट वाहन मे बैठाया जाकर मय दस्तयाब शुदा आरोपी श्री फूलसिंह व दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यो के साथ आरोपी जेईएन को दस्तयाब करने हेतु जीएसएस पिनान पहूंचे तो आरोपी जेईएन कार्यालय में नही मिला इसके बाद आरोपी की तलाश हेतु ट्रेप पार्टी पृथक पृथक साधनो से पिनान कस्बा में आरोपी की तलाश हेतुं गोपनीयता की हिदायत के साथ रवाना किया गया। आरोपी को पिनान से जाने वाले सभी विभिन्न रास्तो पर तलाश किया गया परन्तु आरोपी के दस्तयाब नही होने पर सभी सदस्यो को जीएसएस पिनान पर पहूंचने के निर्देश दिये जाने पर मन एएसपी मय दस्तयाबशुदा आरोपी फूलसिह मय हमराहीयान के जीएसएस कार्यालय पिनान पहूंचे तथा वाहनो को जीएसएस परिसर में खडा करवाकर आरोपी के दोनो हाथो को कलाई के उपर से पकडे पकडे ही प्रवेश कर जेईएन कार्यालय में बने हॉल में उपरोक्त दोनो गवाहान व परिवादी एंव ब्यूरो टीम व आरोपी सहित प्रवेश किया तथा आरोपी फूलसिंह को उक्त हॉल में ससम्मान कुर्सी पर बैठाया गया तथा वाहन मे रखे ट्रेप बॉक्स व अन्य साजो सामान को मंगवाकर हॉल में रखवाया गया । फर्द बरामदगी व हाथ धुलाई शुरू की गई। उक्त हॉल में रखे कैम्पर से साफ पानी मे से एक बोतल में पानी भरवाकर श्री भास्कर हैड कानि 59 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री फूलसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शिशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री फूलसिंह के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शिशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1 , L-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री भीमसिंह कानि 192 से उनके मोबाईल में 32 जी.बी.सैनडिक्स एस.डी कार्ड लगवाई जाकर करवाई गई। जिसकी प्रथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं डीवीडी व फर्द जमी एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। आरोपी श्री फूल सिंह तलाशी गवाह श्री राहुल सैनी से लिवाई गई तो आरोपी के पूर्व के कथनानुसार उसके बदन पर

पहने हुये लोवर की दाहिनी साईड वाली जेब के अन्दर बनी चैन वाली जेब में से निकालवाकर दोनो गवाहान से चैक करवाया गया तों दोनो गवाहान ने गिनकर बताया की 500-500 रूपय के 34 नोट कुल 17000/-रूपये भारतीय चलन मुद्रा होना बताया तथा उक्त दाहिनी साईड की बिना चैन की जेब में एक मोबाईल रेडमी 7 प्रो जिसमें एयरटेल व आईडिया कम्पनी की सिम लगी हुई है इसके बाद उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि का मिलान दोनो गवाहान सें कार्यालय मे तैयार की हुई फर्द पेशकषी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो के विवरणो सें करवाया गया तो फर्द में अंकित नम्बरो व बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटो का मिलान सही होना बताया। इसके बाद बाजार से नई पेन्ट मंगवाकर आरोपी श्री फूलसिंह को पहनने को दिया गया एवं आरोपी श्री फूलसिंह के बदन पर पहने हुये लोवर को शिष्टाचार पूर्वक उतरवाई उक्त लोवर की दाहिनी साईड के जेब के अन्दर चैन वाली जेब जिसमें रिश्वत की राशि प्राप्त कर रखी थी को एक नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स मे निकलवाकर उसे पानी से साफ करवाकर हॉल में रखे कैम्पर से पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर श्री भास्कर हैड कानि. 59 से घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में आरोपी फूलसिंह के बदन से उतरवाये गये लोवर की दाहिनी साईड की जेब के अन्दर बनी चैनवाली जेब को उल्टा करके डूबोकर धुलवाया गया तो धौवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे देखकर सभी ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धौवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा आधा भरवाकर शीशियों पर चिट चस्पा कर सील मोहर कर चिट चस्पा व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 , P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी के बदन से उतरवाये गये लोवर जिसकी दाहिनी साईड की जेब जिसे उल्टाकर धौवन लिया गया। उक्त जेब को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे थैली में रखकर सील मोहर का उक्त थैली पर सभी संबधितो के हस्ताकर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 34 नोट कुल 17000/- की बरामदशुदा रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे की थैली मे रखवाया जाकर उक्त थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर व आरोपी श्री फूलसिंह के हस्ताक्षर करवाया जाकर उक्त थैली को सील्ड मोहर कर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर से श्री भीमसिंह कानि. से करवाई गई। जिसकी पृथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की गई ।उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई । रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। जिसकी पृथक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की की गई । दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मनोज मीणा से आरोपी श्री तेजसिंह, कनिष्ठ अभियंता, पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान जिला अलवर द्वारा कहे अनुसार 17,000/-रूपये रिश्वत राशी दलाल श्री फूलसिंह प्राईवेट व्यक्ति को दिलाने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही शुरु की गई थी कार्यवाही के दौरान विभागीय मोबाईल फोन में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर श्री भीम सिंह कानि. से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे श्री भीम सिंह कानि से कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। तैयारषुदा एक पेनड्राईव को एक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त प्लास्टिक की डिब्बी में रखी गई तथा उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को पेनड्राईव व चिट सहित सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमषः C-1 अंकित कर सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा दूसरे पेन ड्राईव मार्क C-2 को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर अनुसंधान हेतु खुली अवस्था मे रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-3 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। करवाई गई वीडियो ग्राफी का पेन ड्राईव तैयार करने मे किसी प्रकार की छेडखानी नही की गई। जिसकी पृथक से फर्द जप्ती एसडी कार्ड एवं जब्ती पैन ड्राईव रिश्वत राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई कार्यवाही की विडियोग्राफी दिनांक 12.09.2025 तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई दस्तायबशुदा आरोपी श्री फूलसिंह को श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक व स्टाफ की निगरानी में मुनासिब हिदायत देकर जीएसएस पिनान कार्यालय पर छोडा जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान मय परिवादी श्री मनीष मीणा एवं एसीबी स्टाफ सदस्य श्री भास्कर हैड कानि. 59 व श्री भगवान सिंह कानि. के मय वाहन सरकारी मय चालक महेशचन्द के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने एवं फरार आरोपी श्री तेजसिंह जेईएन की तलाश हेतु रवाना होकर आरोपी को पिनान कस्बे में तलाश करते हुआ समय 11.15 पीएम पर जाट चौराहा के पास चौधरी जनरल स्टोर दुकान घटना स्थल पर पहुंचा। उक्त दुकान/मकान पर लगे लाईट की रोशनी एवं सरकारी वाहन

की लाईकी की रोशनी में पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मनोज मीणा की निशानदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर बाद हस्ताक्षर सम्बन्धित के शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके से मय हमराहियान के रवाना होकर समय 11.55 पीएम पर जीएसएस पीनान पहूंचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री फूल सिंह को परिवादी श्री मनोज मीणा पुत्र श्री रतन सिंह मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम नांगल सोहन तहसील रैणी जिला अलवर से श्री तेज सिंह, कनिष्ठ अभियंता पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान जिला अलवर के द्वारा परिवादी को वीसीआर भरने की धमकी देकर रिश्वत की मांग की गई है। कनिष्ठ अभियंता की मांग के अनुसरण में कनिष्ठ अभियंता के कहे अनुसार दिनांक 12.09.2025 को परिवादी से 17000/-रूपये रिश्वत राशी ग्रहण की गई है। उक्त रिश्वत राशी के लेनदेन में आपकी आरोपी श्री तेज सिंह, कनिष्ठ अभियंता पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान जिला अलवर से पूर्णतया संलिप्पता होना पाई गई है। आपका उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतार करने का नोटिस जारी किया गया हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। दिनांक 13.09.2025 समय 12.15 एएम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाहान के समक्ष एवं परिवादी की मौजुदगी में आरोपी श्री फूल सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जाट उम्र 44 साल निवासी जाट मौहल्ला पिनान तहसील रैणी जिला अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61 (2) बीएनएस 2023 में जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उपस्थित आरोपी के भाई श्री बिजेन्द्र सिंह को नियमानुसार दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री मनोज मीणा, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल तिवाडी व श्री राहुल सैनी एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, भास्कर हैड कानि0 59, भीमसिंह कानि. 192, रामजीत कानि. 206, मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ एक प्राइवेट व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द तथा भगवान सिंह कानि. परिवादी की स्कूटी व मुण्डाराम हैड कानि. मोटरसाईकिल से एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफतारशुदा आरोपी श्री फूल सिंह प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को साथ लेकर जीएसएस पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान से एसीबी चौकी अलवर के लिए रवाना हुआ। दिनांक 13.09.2025 समय 02.30 एएम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री मनोज मीणा, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री गोपाल तिवाडी व श्री राहुल सैनी एवं एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, भास्कर हैड कानि0 59, भीमसिंह कानि. 192, रामजीत सिंह कानि. 206, मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर एवं अन्य साजो सामान के साथ एक प्राइवेट व एक सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द तथा भगवान सिंह कानि. परिवादी की स्कूटी व सुण्डाराम हैड कानि. मोटरसाईकिल से एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफतारशुदा आरोपी श्री फूल सिंह प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को साथ लेकर जीएसएस पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान से एसीबी चौकी अलवर के लिए रवाना होकर रास्ते में फरार आरोपी श्री तेजसिंह जेईएन की तलाश करता हुआ एसीबी चौकी अलवर पहूंचा। गिरफतारशुदा आरोपी श्री फूल सिंह प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को कार्यालय में स्टाफ की निगरानी में बैठाया गया व जप्तशुदा आर्टिकल कार्यालय में सुरक्षित रखवाये गये। श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्री भगवान सिंह कानि0, श्री भीम सिंह कानि., श्री रामजीत सिंह कानि. को जरिये पत्र देकर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री फूल सिंह प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) का स्वास्थ्य परीक्षण एवं बाद स्वास्थय परीक्षण के रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात में बन्द करवाने के लिये मय मुल्जिम एसीबी कार्यालय से राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर व पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर जरिये सरकारी वाहन मय चालाक महेश चन्द के रवाना किया गया, श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक के मार्फत आरोपी का राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर में स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर की हवालात में सुरक्षार्थ बंद करवाया जाकर दिनांक 13.09.2025 समय 06.00 एएम से 09.30 एएम तक परिवादी, गवाह श्री गोपाल तिवाडी व श्री राहुल सैनी के समक्ष परिवादी व आरोपी श्री तेज सिंह, कनिष्ठ अभियंता पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान जिला अलवर एवं श्री फूल सिंह प्राईवेट व्यक्ति के मध्य दिनांक 12.09.2025 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में दिनांक 12.09.2025 को रिश्वत लेन देन के समय मोबाईल/रूबरू वार्ता के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय कम्प्यूटर/लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री मनोज द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री तेज सिंह, कनिष्ठ अभियंता पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान जिला अलवर एवं श्री फूल सिंह प्राईवेट व्यक्ति की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk Cruzer Blade 16GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री रामजीत सिंह कानि. 206

मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के कम्प्यूटर/लैपटॉप की सहायता मे बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मनोज मीणा के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव के साथ पृथक-पृथक एक सफेद कागज चिट पर सभी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्ड मोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एमीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को अनशील्ड हालात में अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त एसडी मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को जिसमें वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता दिनांक 12.09.2025 रिश्वत लेनदेन वार्ता रिकॉर्ड है को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को शील्डमोहर कर उस पर मार्क SD-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं0 01 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ता की जो पेन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड माल वजह सबूत समस्त को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 को सुरक्षित हालात में मालखाना में जमा कराने हेतु दुरूस्त हालत मे सम्भलाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री मनोज मीणा की लिखित रिपोर्ट दिनांक 11.09.2025 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान उजागर हुये तथ्यो के आधार पर आरोपी श्री तेज सिंह कनिष्ठ अभियंता पवस जयपुर डिस्कॉम पिनान द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर मिलीभगत कर षडयंत्र पूवर्क एक राय परिवादी श्री मनोज मीणा की शिकायत अनुसार परिवादी के घर के पास शिवजी का मन्दिर है तथा दिनांक 10.09.2025 को पिनान जीएसएस के श्री तेज सिंह जेईएन साहब हमारे घर पर आये और मुझसे कहा कि तुम लोगों ने मन्दिर में बिना मीटर के विधुत का सीधा कनेक्शन कर रखा है तथा जेईएन तेजसिंह ने मुझे साईड में ले जाकर कहा की तुमने मन्दिर मे चोरी की लाईट लगा रखी है या तो तुम अभी तीस हजार रूपये दो अन्यथा एक लाख रूपये की वीसीआर भर दुंगा। मैनें जेईएन साहब से कहा कि इस कनेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो मन्दिर में आने जाने वालो के लिए घर के इन्वेटर से मन्दिर की लाईट को जोड रखा है। हमारे घर का तो अलग से कनेक्शन ले रखा है। परन्तु उसने मुझे धमकी दी की यदि तुम 30000 रूपये कल तक नहीं दोगे तो मै तुम्हारी एक लाख की वीसीआर भर दुंगा मुझे वीसीआर के नाम से डरा धमकाकर मुझसे 5000 रूपये तो जेईएन साहब ने उसी समय रिश्वत के ले लिय और जाते हुये कहा कल तक 25000 रूपये नहीं लाया तो तुम्हारी एक लाख की वीसीआर भर दुंगा तथा उक्त वीसीआर नही भरने के नाम पर 30000/-रूपये की रिश्वत मांग कर परेषान किया जा रहा है। उक्त शिकायत पर सत्यापन के दौरान आरोपी श्री तेजसिंह कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि नही देने पर 1 लाख रूपये की वी.सीआर के नाम से डरा धमकाकर 5000/-रूपये प्राप्त करने तथा सत्यापन के समय 2000/- रूपये लेने के तथ्य आये है एवं 17000/-रूपये और रिश्वत की मांग की गई। आरोपी द्वारा अपनी उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 12.09.2025 को परिवादी से 17000/-रूपये की राशि अपने दलाल श्री फूलसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जाट उम्र 43 साल निवासी जाट मोहल्ल पिनान तहसील रैणी जिला अलवर को दिलवाये जाने पर आरोपी फूलसिंह द्वारा परिवादी से 17000/-रूपये की रिश्वत राशि श्री तेजसिंह कनिष्ठ अभियंता के कहने पर मांग कर ग्रहण करना व उक्त रिश्वत राशि आरोपी के द्वारा लेकर अपनी पहनी हुई लोवर की दाहिनी साईड की जेब के अन्दर की चैन वाली जेब में रखना उक्त राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होना स्पष्ट रूप से पाया गया है। आरोपीगण श्री तेज सिंह मीणा, कनिष्ठ अभियंता, पवस जयपुर डिस्कॉम रैणी जिला अलवर व श्री फूल सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति जाट उम्र 43 साल निवासी जाट मोहल्ला पिनान तहसील रैणी जिला अलवर (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधन 2018) व 308(2), 61(2) बीएनएस 2023 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगणो के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में विना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम अलवर। ....कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधन 2018) व 308(2), 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपी 1-श्री तेज सिंह मीना पुत्र श्री राम किशन मीना उम्र 38 साल जाति मीणा निवासी ग्राम रुपबास तहसील व जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियंता पवस जयपुर डिस्काम पिनान जिला अलवर एवं 2-श्री फूल सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति जाट उम्र 43 साल निवासी जाट मौहल्ला पिनान तहसील रैणी जिला अलवर (प्राईवेट व्यकित/दलाल)के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक

पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 270 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1346-49 दिनांक 15.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2. सचिव(प्रशासन) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]3

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/06/1987				
2	Male	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)